FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों / निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियों भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2020, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2020 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग ₹510479.36 करोड़ और ₹466881.40 करोड़ थीं। The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2020 were ₹510479.36 crores and ₹466881.40 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय / विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:-

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलघन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT-Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के मांगी राधि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंट कमीर अथवा प	ान	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Invol duri the y	ng	Outstand- ing at the end of the year	Guara Commis or Fe	ssion	Other material details
	ycar			than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	_,,,_	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	, ,	11 इ रुपयों में) of rupees)
कृषि और किसान कल्याण म MINISTRY OF AGRICULT AND FARMERS WELFAI कृषि, सहकारिता और किसान	TURE RE —									
Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE वित्तीय सेवाएँ विमाग	40512.83 (6)	39011.76 (5)	1501.07 (1)	_	_	_	40512.83 (6)	@	@	_
Department of Financial Services	23865.26 (41)	16518.76 (15)	7346.50 (26)	385.26	_	_	23480.00 (41)	104.93	104.93	_
राजस्व विभाग Department of Revenue	0.01 (1)	0.01 (1)	_	_	_	_	0.01 (1)	_	_	_

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	9495.00 (1)	9495.00 (1)	_	_	_	_	9495.00 (1)	**	**	_
उद्योग मंत्रालय										
MINISTRY OF INDUSTRY—										
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रात	लय,									
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग										
MINISTRY OF MICRO, SMALI	L									
AND MEDIUM ENTERPRISES,	, 60.87		60.87		_	_	60.87	88.22	##7.89	_
KHADI & VILLAGE	(1)		(1)				(1)			
INDUSTRIES COMMISSION										
(KVIC)										

[@] आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा गारंटी शुल्क का अधित्याग कर दिया गया।

[@] Guarantee fee has been waived off by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

^{**} मंत्रालय ने अपने दिनांक 25.4.2008 के पत्र द्वारा सरकार द्वारा निष्पादित एकल डिफाल्ट गारंटी के लिए देय गारंटी शुल्क का अधित्याग कर दिया है।

^{**} Ministry vide its letter dated 25.4.2008 has waived the guarantee fee payable towards single default guarantee executed by the Government.

^{##} केवीआईसी न तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और न ही लाभ अर्जित करने वाला संगठन है। यह एक संवर्धन संगठन है। ₹80.33 करोड़ केवीआईसी से बकाया शुल्क से संबंधित है।

^{##} KVIC is neither a public sector undertaking (PSU) nor a profit making organization. It is a promotional organization. ₹80.33 Crore pertains to outstanding fees from KVIC.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के मांगी रागि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंत कमीश अथवा प	!ान	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Invol duri the	ing	Outstand- ing at the end of the year	Guarar Commis or Fo	ssion	Other material details
	ycar	20 you		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	, ,	11 रुपयों में) of rupees)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS—

औषध निर्माण विमाग Department of

Department of								
Pharmaceuticals	1148.67	1132.95	15.72**	_	 _	1148.67	88.51	\$ _
	(9)	(9)				(9)		

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / ऋणों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां :--
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

विद्युत मंत्रालय									ए	प्तएलआर बांड
MINISTRY OF POWER	7000.00 (2)	7000.00 (2)	_	_	_	_	7000.00 (2)	70.00	70.00 SL	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्व	जिनिक									
वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER										
AFFAIRS, FOOD AND	29000.00	21000.00	8000.00	_	_	_	29000.00	_	_	_
PUBLICDISTRIBUTION	(4)	(3)	(1)				(4)			
रेल मंत्रालय										
MINISTRY OF RAILWAYS	4155.67 (3)	2308.84 (3)	1846.83	_	_	_	4155.67 (3)	28.58	28.58	_
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रा MINISTRY OF COMMUNICA										
दूरसंचार विभाग Department of										
Telecommunications	7513.97 (7)*	7513.97 (7)*	_	_	_	_	7513.97 (7)	29.80	@59.60	_

[@] निदेशक (ए ∕ सीएस-II) द्वारा सूचित किए अनुसार, वर्ष 2020—21 से संबंधित ₹29.80 करोड़ की राशि अग्रिम रूप में लेखाबद्ध हो गई।

[@] As communicated by Director (A/cs-II), ₹29.80 Crore pertaining to the year 2020-21 accounted in advance.

[💲] इंडियन ड्रग्स फार्माक्यूंटिकल्स लि. द्वारा वर्षे 2019-20 के दौरान गारंटी शुल्क / कमीशन का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि कंपनी रूग्ण है।

^{\$} No Guarantee fee/Commission was paid during 2019-20 by Indian Drugs Pharmaceuticals Ltd as the Company is Sick.

^{**} पहले से जारी गारंटियों के सापेक्ष देयताओं में वर्ष के दौरान वृद्धि से संबंधित है।

^{**} Relates to increase during the year in the liabilities against Guarantees already issued.

^{* 2018—19} के दौरान कुल गारंटियों की संख्या 7 के बजाय 4 उल्लिखित थीं और इसे ही अब 2019—20 के दौरान लिया गया है।

^{*} Total No. of guarantees was mentioned as 4 instead of 7 during 2018-19 and the same has now been taken during 2019-20.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT-Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के मांगी रागि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंत कमीश अथवा प	!ान	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Invol duri the y	ing	Outstand- ing at the end of the year	Guarar Commis or Fo	ssion	Other material details
	ycar	20 ,02		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	20 ,02	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 रुपयों में) of rupees)

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रमार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियाँ :—
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:

51048.71	48848.71	2200.00	8232.60	_	_	42816.11	1912.76	54.92##	_
(44)	(40)	(4)				(44)			
692.35	631.04	**61.31	**56.39	_	_	635.96	5.55	5.55	_
(3)	(3)					(3)			
						.,			
44150.66	38738.71	** 5411.95	** 2993.90	_	_	41156.76	454.05	454.05	_
(44)	(44)		(1)			(43)			
	(44) 692.35 (3) 44150.66	(44) (40) 692.35 631.04 (3) (3) 44150.66 38738.71	(44) (40) (4) 692.35 631.04 **61.31 (3) (3) 44150.66 38738.71 **5411.95	(44) (40) (4) 692.35 631.04 **61.31 **56.39 (3) (3) 44150.66 38738.71 **5411.95 **2993.90	(44) (40) (4) 692.35 631.04 **61.31 **56.39 — (3) (3) 44150.66 38738.71 **5411.95 **2993.90 —	(44) (40) (4) 692.35 631.04 **61.31 **56.39 — — (3) (3) 44150.66 38738.71 **5411.95 **2993.90 — —	(44) (40) (4) 692.35 631.04 **61.31 **56.39 — — 635.96 (3) (3) — (3) 44150.66 38738.71 **5411.95 **2993.90 — — 41156.76	(44) (40) (4) 692.35 631.04 **61.31 **56.39 — — 635.96 5.55 (3) (3) (3) (3) — 41156.76 454.05	(44) (40) (4) 692.35 631.04 **61.31 **56.39 — — 635.96 5.55 5.55 (3) (3) (3) — 41156.76 454.05 454.05

_									
15952.23	13216.91^	2735.32	2557.37		_	13394.86	134.44	135.50\$	
(30)	(30)#		(4)			(26)			
196024.73	168383.88*	27640.85^^	28728.87^^	_	_	167295.86	34.03	34.03	_
(200)	(173)	(27)	(11)			(189)			
मंत्रालय									
RPRISES, 56.53	52.68	3.85	3.11	_	_	53.42	0.22	0.22	
(3)	(3)					(3)			
N									
	15952.23 (30) 196024.73 (200) — मंत्रालय RPRISES, 56.53 (3)	15952.23 13216.91^ (30) (30)# 196024.73 168383.88* (200) (173) — मंत्रालय RPRISES, 56.53 52.68 (3) (3)	15952.23 13216.91^ 2735.32 (30) (30)# 196024.73 168383.88* 27640.85^^ (200) (173) (27) — मंत्रालय RPRISES, 56.53 52.68 3.85 (3) (3)	15952.23 13216.91^ 2735.32 2557.37 (30) (30)# (4) 196024.73 168383.88* 27640.85^^ 28728.87^^ (200) (173) (27) (11) — मंत्रालय RPRISES, 56.53 52.68 3.85 3.11 (3) (3)	15952.23 13216.91^ 2735.32 2557.37 — (30) (30)# (4) 196024.73 168383.88* 27640.85^^ 28728.87^^ — (200) (173) (27) (11)	15952.23 13216.91^ 2735.32 2557.37 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	15952.23 13216.91^ 2735.32 2557.37 — — 13394.86 (30) (30)# (4) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	15952.23 13216.91^ 2735.32 2557.37 — — 13394.86 134.44 (26) 196024.73 168383.88* 27640.85^^ 28728.87^^ — — 167295.86 34.03 (200) (173) (27) (11) (189) मंत्रालय RPRISES, 56.53 52.68 3.85 3.11 — — 53.42 0.22 (3) (3)	15952.23 13216.91^ 2735.32 2557.37 — — 13394.86 134.44 135.50\$ (30) (30)# (4) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

एसआईडीबीआई में गलती से कुल गारंटियों की संख्या 16 की बजाय 20 दर्शाई थी और एमएमआरडीए ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान एक गारंटी नहीं दर्शाई है।

The SIDBI had inadvertently shown total number of guarantees as 20 instead of 16 and MMRDA not shown one guarantee during Financial Year 2018-19.

* गारंटियों की संख्या और राशि 2018—19 के अंतर्शष के साथ मिलान नहीं करते क्योंकि इसे वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए आर्थिक कार्य विभाग से गारंटियों और राशि को स्वीकार किए जाने के कारण संशोधित किया गया है।

* The number of guarantees and amount do not tally with the closing balance of 2018-19 as it has been revised due to adoption of guarantees and amount from Deptt. of Economic Affairs for the FY 2019-20.

** विनिमय दर परिवर्तन शामिल है।

** Includes exchange rate variation.

\$ प्राप्य गारंटी शुल्क और प्राप्त गारंटी शुल्क के बीच अंतर आईएल एंड एफएस द्वारा वर्ष 2019—20 के लिए ₹ 1.43 करोड़ की गारंटी राशि के भुगतान न करने और एमएमआरडी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018—19 से संबंधित भुगतान की गई ₹ 2.43 करोड़ का शुल्क जिसे वित्त वर्ष 2019—20 में प्राप्त किया गया, के कारण है।

\$ Difference between Guarantee Fee receivable and received is due to default on payment for Guarantee Fee by IL&FS for the year 2019-20 amounting to ₹ 1.43 crore and fee of ₹ 2.43 Crore paid by MMRDA pertaining to FY 2018-19 which is received in the FY 2019-20.

नगर विमानन मंत्रालय के पत्र सं. पीपीएओ / टीसीए / लेखा—2 / एफए / स्टे.नं.4 / 2019—20 / 221—223 दिनांक 1 / 7 / 20 के अनुसार एयर इंडिया ने गंभीर तरलता संकट के कारण गारंटी शल्क की अदायगी नहीं की।

As per M/O Civil Aviation letter No. PPAO/TCA/ACTS-2/FA/St.No.4/2019-20/221-223 dated 1/7/20 Air India Ltd. has not paid Guarantee fee due to severe Liquidity Crunch.

^ आईएफसीएल (₹ 426.12 करोड़) एवं एक्सिस बैंक (₹ 154427.54 करोड़) से संबंधित गारंटिया वित्तीय सेवाएं विभाग को अंतरित की गई। एमएमआरडीए (₹ 1947.37 करोड़) से संबंधित गारंटी और गारंटी शुल्क के ब्यौरे भी वित्त वर्ष 2018—19 के दौरान दर्शाई नहीं गए थे और इसे इस वर्ष शामिल किया जा रहा है।

Guarantees pertaining to IFCI Ltd. (₹ 426.12 Crore) & Exim Bank (₹ 154427.54 Crore) Transferred to Deptt. of Financial Services. Also details of Guarantee and Guarantee Fee in respect of MMRDA (₹ 1947.37 Crore) were not shown during FY 2018-19 and the same is being included this year.

^ आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 08 जनवरी, 2021 के का.जा. सं. एफ.नं. 12(1)-बी(एसडी) / 2021 के अनुसार यह सुझाव दिया गया है कि डीएफएस को केवल उन्हीं एलओसी को सूचित किया जाए, जिनकी मंजूरी आर्थिक कार्य विभाग द्वारा की गई है और विदेश मंत्रालय के एलओसी को छोड़ना होगा। अतः, बांग्लादेश सरकार को 5000 मि. अमरीकी डालर (₹ 37,692.95 करोड़), 862 मि. अमरीकी डालर (₹ 6,498.26 करोड़), 2000 मि. अमरीकी डालर (₹ 15,077.18 करोड़) की एलओसी, नेपाल को 550 मि. अमरीकी डालर (मूल रूप से ₹ 1,000 अमरीकी डालर अनुमोदित किए गए थे और बाद में कम करके 550 मि. अमरीकी डालर किए गए), 250 मि. अमरीकी डालर तथा 750 मि. अमरीकी डालर की एलओसी को उपर्युक्त विवरण से निकाल दिया गया है।

^^ As per DEA OM No. F. No. 12(1)-B(SD)/2021 dated 08 January, 2021 advised to report those LOCs to DFS, which have been approved by DEA only and MEA LOCs needs to be excluded. Hence, LOC to Govt. of Bangladesh of USD 5,000mn (₹ 37,692.95 crore), USD 862mn (₹ 6,498.26 crore), USD 2,000mn (₹ 15,077.18 crore) LOCs to Nepal USD 550mn (originally approved for USD 1,000mn and then reduced to USD 550mn), USD 250mn and USD 750mn have been excluded from the above statement.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-*जारी*

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के व मांगी राष्ट्रि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंट कमीश अथवा प	ान	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Invol duri the y	ng	Outstand- ing at the end of the year	Guarai Commi or Fo	ssion	Other material details
	year	alo you		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	no you	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11 रुपयों में) of rupees)
सड़क परिवहन और राजमार MINISTRY OF ROAD	र्ग मंत्रालय									
TRANSPORT AND HIGH	(1)	570.96 (1)	51.86	72.13	_	_	550.69 (1)	1.43	1.43	
नवीन और नवीकरणीय ऊज MINISTRY OF NEW AN										
RENEWABLE ENERGY	8434.00 (13)	8130.68 (13)	303.32	423.03	_	_	8010.97 (13)	96.23	96.23	_
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	359.59 (2)	359.59 (2)	_	^2.70	_	_	356.89 (2)	0.96	0.96	_
आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय										
MINISTRY OF HUPA	296.53 (2)	296.53 (2)		^54.69	_	_	241.84 (2)	2,28	2.28	_

वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES— वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE	1054.00 (1)	1054.00 (1)	_	_	_	_	1054.00 (1)	10.54	#2.34	_
शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	1080.29 (2)	1008.67 (2)	71.62	87.91	_	_	992.38 (2)	12.10	12.10	_
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	67954.64 (8)	64300.08 (7)	^3654.56 (1)	_	_	_	67954.64 (8)	**	**	_

(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों / दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों / निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के संबंध में बैंकों

[^] विनिमय दर में बदलाव के कारण।

[^] Due to exchange rate variation.

^{**} सरकार द्वारा एक्सिस बैंक को विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों को दिए गए लाइंस ऑफ क्रेडिट को पूरा करने के लिए मुहैया कराई गई गारंटी, गारंटियों की परिसीमा में नहीं आती है जैसाकि राजपत्र अधिसूचना सं. एस.ओ.2979 (ई) दिनांक 20-12-2010 में उल्लिखित है और इसीलिए कोई गारंटी शुल्क / कमीशन मुहैया नहीं कराया गया।

^{**} Guarantee provided by the Government to Exim Bank for fulfilment of Lines of Credit extended to foreign countries by the MEA does not fall under the purview of guarantees as mentioned in the Gazette Notification no. S.O.2979(E) dated 20-12-2010 and hence no guarantee fee/commission is provided.

^{# 2019—20} में प्राप्य ₹10.54 करोड़ गारंटी शुल्क 2018—19 में प्राप्त और लेखाबद्ध हुआ तथा 2020—21 में प्राप्य ₹2.34 करोड़ का गारंटी शुल्क 2019-20 में प्राप्त हुआ।

^{# ₹10.54} Crore guarantee fee receivable in 2019-20 received and accounted in 2018-19 and ₹2.34 Crore is Guarantee Fee receivable in 2020-21 received in 2019-20.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT—Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के : मांगी राधि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंत कमीश अथवा १	गन	अन्य तात्विक ब्योरे
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other	Invol duri the y	ng	Outstand- ing at the end of the year	Guara Commi or Fo	ssion	Other material details
	ycar	ne year		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	ine year	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	, ,	11 रुपयों में) of rupees)

को दी गई प्रति-गारंटियाँ :-

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

— श्रन्य / NIL —

- (v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों / भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे / राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:--
- (v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— शून्य / NIL —

(vi)	विदेशों में भारतीय	कम्पनियों को दिए	गए ठेकों.	/परियोजनाओं को प	रा करने हेत दी गई	निष्पादन गारंटियां:
(v + /	1 1 2 5 11 11 1 5 11 2	7 11 1 21 21 1 7 3	13 0 711/		או ור עיט וייד ויי	

(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

— शून्य / NIL —

(vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :--

(vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

—शून्य / NIL —

(viii) कोई अन्य –

(viii) Any Other: —

— शून्य / NIL —

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)

GUARANTEESGIVENBYGOVERNMENT: DISCLOSUREREQUIREMENTS (IGAS-1)

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:-

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2019-20: -

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंम में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कर्म अथवा र्फ	
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked	Invoked during the year उन्मोचित अननुमोचित		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	
	ycar			during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपयों में) Frore of rupees)

क्षेत्र — (i) — विद्युत Sector - (i) - Power

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लामांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए लिए दी गई गारंटियां:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

विद्युत मंत्रालय								
MINISTRY OF POWER	7000.00	7000.00	_	_	_	 7000.00	70.00	70.00
	(2)	(2)				(2)		

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, ctc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, ctc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, ctc:–

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	44150.66 (44)	38738.71 (44)	5411.95	2993.90 (1)	_	_	41156.76 (43)	454.05	454.05
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रा MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	लय 8434.00 (13)	8130.68 (13)	303.32	423.03	_	_	8010.97 (13)	96.23	96.23
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	692.35 (3)	631.04 (3)	61.31	56.39	_	_	635.96 (3)	5.55	5.55

क्षेत्र - (ii) - सहकारी समिति

Sector - (ii) - Co-operative

वर्ग—(i) मारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः मारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, मारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय —
MINISTRY OF
AGRICULTURE AND FAMERS WELFARE —
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विमाग
Department of
Agriculture, Co-operation and 39000.00 — — — 39000.00 — — —
Farmers Welfare (4) (4) (4)

Sector - (ili) - Irrigation

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतू दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-I)-जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:-

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2019-20:

(-)			,				9	•	
मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान वर्ष के वर्ष के		वर्ष के	वर्ष के दौरान	वर्ष के व	दौरान	वर्ष के अंत	गारंटी कर्म	ोशन
	गारंटीकृत	आरंम	दौरान	विलोपन (वर्ष	मांगी	मांगी गई		अथवा प	ोस
	अधिकतम	में बकाया	परिवर्धन	के दौरान	राधि	ो			
	राशि			मांगी गई राशि वे	5				
				अलावा)					
Name of Ministry/	Maximum	Outstanding	Additions	Deletion	Invoked	•	Outstanding	Guaran	
Department	Amount	at the	during the	during the	the year		at the end	Commis	
	Guaranteed during the	beginning of the year	усаг	year (Other than invoked			of the year	or Fc	:
	_	ше уем		during the	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई
	ycar				Discharged	Discharged		Receivable	Received
				year)		Discussi Sed		Receivable	Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									करोड़ रुपयों में)
									rore of rimeer)

(In crore of rupees)

वर्ग - (iii) मारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उघार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मुलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रमारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेंडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:--

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs 97.16 97.16 92.17 1.07 1.07 (1) (1) (1)

क्षेत्र - (iv) - सडक और परिवहन

Sector - (iv) - Road and Transport

वर्ग – (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लामांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions:-

	-
रेल	मत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS	4155.67	2308.84	1846.83	_	_	_	4155.67	28.58	28.58
	(3)	(3)					(3)		

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपर्ति संबधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION	51048.71 (44)	48848.71 (40)	2200.00 (4)	8232.60	_	_	42816.11 (44)	1912.76	54.92
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPOR AND HIGHWAYS	622.82 (1)	570.96 (1)	51.86	72.13	_	_	550.69 (1)	1.43	1.43
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE									
आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	65.55 (1)	61.14 (1)	4.41	8.18	_	_	57.37 (1)	0.37	0.00

क्षेत्र — (v) — राज्य वित्तीय निगम

Sector - (v) - State Financial Corporations

— शन्य / NIL —

क्षेत्र - (vi) - शहरी विकास और आवास

Sector - (vi) - Urban Development and Housing

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-I)-जारी

GUARANTEESGIVENBY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd. (क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2019-20:

		-	-			-	•		
मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान	वर्ष के	वर्ष के	वर्ष के दौरान	वर्ष के व	•	वर्ष के अंत	गारंटी कर्म	
	गारंटीकृत	आरंम	दौरान	विलोपन (वर्ष	मांगी :	मांगी गई		अथवा र्फ	ोस
	अधिकतम	में बकाया	परिवर्धन	के दौरान	राशि	Т			
	राशि			मांगी गई राशि के	ī				
				अलावा)					
Name of Ministry/	Maximum	Outstanding	Additions	Deletion	Invoked	during	Outstanding	Guarant	
Department	Amount	at the	during the	during the	the ye	car	at the end	Commiss	
	Guaranteed during the	beginning of the year	усаг	year (Other - than invoked	उन्मोचित	<u>अ</u> ननुमोचित	of the year	or Fcc	;
	_	ше усы		during the	Discharged	Not		प्राप्य	प्राप्त की गई
	year				Discharged	Discharged		Receivable	Received
			_	year)	_	_			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								,	करोड़ रुपयों में)
								(In c	rore of rupces)
शहरी विकास मंत्रालय									
MINISTRY OF URBAN									
DEVELOPMENT	1080.29	1008.67	71.62	87.91			992.38	12.10	12.10
	(2)	(2)					(2)		
आवासन और शहरी गरीबी									
उपशमन मंत्रालय									
MINISTRY OF HUPA	296.53	296.53	_	54.69	_	_	241.84	2.28	2.28
	(2)	(2)					(2)		
वित्त मंत्रालय									
MINISTRY OF FINANCE									
आर्थिक कार्य विभाग	100.05	144.45	25.45	00.00			150.55	0.65	0.05
Department of Economic Affair		144.48	35.47	29.29		_	150.66	0.97	0.97
	(1)	(1)					(1)		

क्षेत्र — (vii) — अन्य अवसंरचना Sector - (vii) - Other Infrastructure

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc.—

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs 864.29 826.98 37.31 86.98 — — 777.31 8.92 7.86 (6) (6)

क्षेत्र - (viii) - कोई अन्य

Sector - (viii) - Any Other

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतू दी गई गारंटियां।

Class - (I) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, eash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय— MINISTRY OF AGRICULTUREAND FAMERS WELFARE —

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग

Department of

Agriculture, Co-operation and 1512.83 11.76 1501.07 — — 1512.83

Farmers Welfare (2) (1) (1) (2)

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-I)-जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd. (क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2019-20:—

(a) Se	cior-wise aisc	aosures in respe	ect of Guaran	tees given by the	Union Gove	rnment auring l	ine year 2019-20	<i>:-</i> -	
मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंम में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के	वर्ष के र मांगी राहि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कर अथवा पं	
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed	Outstanding at the beginning of	Additions during the year	अलावा) Deletion during the year (Other	Invoked the y		Outstanding at the end of the year	Guaran Commiss or Fe	sion
	during the	the year	·	than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	·	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपयों में) crore of rupees)
उपमोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	C 9495,00 (1)	9495,00 (1)	_	_	_	. <u> </u>	9495.00 (1)	_	_
उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF INDUSTRY सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रात खादी और ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMALI AND MEDIUM ENTERPRISES, KHADI & VILLAGE INDUSTRI COMMISSION (KVIC)	L		60.87 (1)		_	_	60.87	88. <i>2</i> 2	7.89
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS औषध निर्माण विभाग Department of Pharmaceuticals	1148.67	1132.95	15.72	_	_		1148.67	88.51	_
Department of 1 natimateuricals	(9)	(9)	15.72			_	(9)	00.51	

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE वित्तीय सेवाएँ विभाग Department of Financial Services	23865.26 (41)	16518.76 (15)	7346.50 (26)	385.26	_	_	23480.00 (41)	104.93	104.93
राजस्व विभाग Department of Revenue	0.01 (1)	0.01 (1)	_	_	_	_	0.01 (1)	_	_

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लामांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	29000.00 (4)	21000.00	8000.00 (1)	_	_	_	29000.00 (4)	_	_
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रात MINISTRY OF COMMUNICA AND INFORMATION TECHN दूरसंचार विमाग Department of Telecommunications	TIONS	7513.97 (7)	_	_	_	_	7513.97 (7)	29.80	59.60

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-I)-जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:-

(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2019-20:-

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंम में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के	वर्ष के व मांगी राधि	गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कर्म अथवा पं	
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	প্রনাবা) Deletion during the year (Other than invoked	Invoked the y उन्मोचित Discharged	car अननुमोचित	Outstanding at the end of the year	Guaran Commis: or Fe	sion
	ycar			during the year)	Discharged	Not Discharged		Receivable	Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपयों में)

वर्ग—(ш) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, ctc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	359.59 (2)	359.59 (2)	_	2.70	_	_	356.89 (2)	0.96	0.96
उद्योग मंत्रालय	(-)	(-)					(-)		
MINISTRY OF INDUSTRY									
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,									
खादी और ग्रामोद्योग आयोग									
MINISTRY OF MICRO, SMALL	56.53	52.68	3.85	3.11	_	_	53.42	0.22	0.22
AND MEDIUM ENTERPRISES,	(3)	(3)					(3)		
KHADI & VILLAGE INDUSTRIES									
COMMISSION (KVIC)									

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग									
MINISTRY OF FINANCE Department of Economic Affairs	14745.28	12087.15	2658.13	2427.93		_	12317.35	123.11	125.60
Department of Economic Atlants	(21)	(21)	2030.13	(4)			(17)	123.11	123.00
वित्तीय सेवाएँ विभाग									
Department of Financial Services	196024.73	168383.88	27640.85	28728.87		_	167295.86	34.03	34.03
	(200)	(173)	(27)	(11)			(189)		
वस्त्र मंत्रालय									
MINISTRY OF TEXTILES वाणिज्य विभाग									
Department of Commerce	1054.00	1054.00	_			_	1054.00	10.54	2.34
	(1)	(1)					(1)		
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL									
AFFAIRS	67954.64	64300.08	3654.56	_	_	_	67954.64	_	_
	(8)	(7)	(1)				(8)		

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)-जारी

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.
(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण :—

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2019-20: -

भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम,यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां। Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for

Insurance Corporation providing working cap	oringia, Unit Ir oital in respect of	ust of Ingla, etc., for r companies, comorati	cpayment of pr	uncipal and pa ve societies an	yment of interest, o id co-operative bar	ash credit facility,	nnancing scasonal	agricultural operatio	ns and for
मंत्रालय / विभाग का नाम	सीमा, यदि	क्या गारंटी मोचन	, गारंटी	गारंटी	वित्तीय वित्तीय	स्वतः नामे	क्या सरकार के	सरकार में	अन्य
	कोई नियत	अथवा आरक्षित	मोचन अथवा	मोचन अथवा	विवरणियों	डाले जाने की	बजट दस्तावेजों	गारंटियों के	महत्वपूर्ण
	की गई है	निधि मौजूद है और	आरक्षित	आरक्षित	की तारीख के	व्यवस्था और	में गारंटियों	लिए ट्रैकिंग	ब्योरे
	जिसके भीतर	वर्ष की शुरुआत में	निधि में	निधि में	अनुसार भारतीय	संरचनात्मक	के ब्योरे	यूनिट अथवा	
	सरकार गारंटी	निधि में उपलब्ध	से की गई	वर्ष के अंत	रुपयों के रूप	भुगतान व्यवस्था,	शामिल हैं	नामोद्दिष्ट	
	दे सकती है	शेष राशि के	अदायगियां	में शेष राशि	में मौजूद बाह्य	यदि कोई हो,		प्राधिकारियों	
		प्रकटीकरण के			विदेशी मुद्रा	तो उससे		के ब्योरे	
		साथ इसका ब्योरा			गारंटियों के ब्योरे	संबंधित ब्योरे			
Name of the Ministry/	Limit, if any	Whether guarantee	Any	Balance at	Details of	Details	Whether	Details of	Other
Department	fixed within which the	Redemption or Reserve Fund	payments made	the end of the year	subsisting external foreign	concerning Automatic	the budget documents	the tracking unit or	material details
	Government	exists and its	out of	made in	сштепсу	debit	of the	designated	
	may give	details including	guarantee	guarantee	guarantees in	Mcchanism	Government	authority for	
	guarantee	disclosure of balance available	redemption or Reserve	redemption or Reserve	terms of Indian rupees on the	and structured	contain details of	Guarantees in the	
		in the fund at	fund	Fund	date of	payment	Guarantees	Government	
		the beginning			Financial	arrangements,			
	(ক)	of the year	(ख)		Statments (ग)	ifany (घ)	(ङ)	(च)	(ন্ত)
						(d)	(e)	(f)	
	(a)		(b)		(c)	(4)	(6)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(g)
								(akiè) صداف)	रुपयों में)
0 4 0							v	•	
कृषि और किसान कल्याण ग	मत्रालय — 🔠 🛊	# शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्यं	हाँ	एमपीएस अनुभाग,	शून्य
कृषि, सहकारिता और								कृषि सहकारिता	
किसान कल्याण विमाग							•	एवं किसान कल्याण	
							वि	वेभाग का सहकारिता	
								प्रभाग, नई दिल्ली	
MINISTRY OF AGRICUL	TURE AND								
FARMERS WELFARE-	ŧ	# Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Yes	MPS Section,	Nil
Department of Agriculture,	D7 10							Cooperation	
Co-operation and Farmers	weitate							Division of DAC, and Farmers Welfare	
							ď	New Delhi	

वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
Department of Revenue	#	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	_
वित्तीय सेवाएं विभाग		नहीं	नहीं	लागू नहीं	23480.00	लागू नहीं	ਦਾ '	संयुक्त सचिव (बजट)	
विस्ताव सवार् विभाग		-101	-101	راايل باوا	23460.00	લાગૂ ગઇ	GI	•	
D		37	27	37.4	22.400.00	27.4	37	बजट प्रभाग, डीईए	
Department of Financial Services	#	No	No	N.A.	23480.00	NA	Yes	Joint Secretary	_
								(Budget), Budget Division,	
								DEA	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	हाँ	अवर सचिव	_
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय				C.	L.			(एफसीआई), कृषि	
								भवन, नई दिल्ली	
MINISTRY OF CONSUMER,								गयम, गर्च ।प्रत्या	
AFFAIRS, FOOD AND	#	No	NA	NA	NA	No	Yes	US (FCI),	_
PUBLIC DISTRIBUTION	**	110	1471	MA	1171	110	103	Krishi Bhawan,	
								,	
उद्योग मंत्रालय									
Ministry of Industry									
initially of manual,									
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	#	माना	पान्ग	प्रान्ग	पाना	पान्स	पान्स	केवीआईसी	पान्स
	π	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	· _	शून्य
खादी और ग्रामोद्योग आयोग								(एमएसएमई)	
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES	#	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	KVIC	Nil
Khadi & Village Industries	#	INII	1411	1411	NII	NII	NII	MSME	1411
Commission (KVIC)								MUNIC	
(·)									

[#] वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा गारंटियों के मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो। # Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस–1)– जारी
GUARANTEESGIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)–Contd.
(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:–

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2019-20: -

मंत्रालय ∕ विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोव्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(ক)	of the year	(ख)		(ग)	(घ)	(ভ)	(च)	(ন্ত)
	(a)		(b)		(c)	(d)	(c)	(f)	(g)
								(करोड़	रुपयों में)
								(In crore o	-
रसायन और उर्वरक मंत्राल MINISTRY OF CHEMICA AND FERTILIZERS-									
औषघ निर्माण विभाग	*	# नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	हाँ नि	विशक (पीएसयू) अ	ाईडीपीएल
Department of Pharmaccuticals	#	# No	Nil	Nil	Nil	Nil	Yes	Dir (PSU)	IDPL

(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

(ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions:—

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	# #	शून्य Nil	नहीं No	शून्य Nil	7000.00 7000.00	शून्य Nil	हाँ Yes	विद्युत मंत्रालय Ministry of Power	शून्य Nil
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	ਗੁੱ	अवर सचिव (एफसीआई) एवं अवर सचिव (सीडब्ल्यूसी)	_
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	#	No	NA	NA	NA	Yes	Yes	US (FCI) and US (CWC)	_
रेल मंत्रालय	#	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	शून्य	लागू नहीं
MINISTRY OF RAILWAYS	#	NA	NA	NA	NA	NA	Yes	NIL	NA
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग	#	विभाग द्वारा ऐसी व	गोई निधि नहीं	बनाई गई है	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	हाँ	उप महानिदेशक (एसयू) के अधीन कारखाना अनुभाग, दूरसंचार विभाग, संचार भवन	_
MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY Department of Telecommunications	#	No su	uch fund create	d by the Deptt	Does not arise	Does not arise	Yes	Factory Section under Dy. Dir. General (SU), DoT, Sanchar Bhawan	_

[#] वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो।

[#] Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस–1)–*जारी*

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)-Contd.

(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:-

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2019-20: -

मंत्रालय / विमाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निध मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोद्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(ক)	or mo you	(ख)		(ग)	<u>(घ</u>)	(ভ)	(ঘ)	(छ)
	(a)		(b)		(c)	(d)	(e)	(1)	(g)
								(करोड़	रुपयों में)
								(In crore of	of rupees)

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उघार देने वाले विदेशी अमिकरणों विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रमार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:—
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:—

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय	#	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	22689.00	हों	हाँ राज	वित्त-I अनुभाग, ोव गांधी भवन, नागर	_
MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM	#	No	NA	NA	22689.00	Yes	Yes	विमानन मंत्रालय Finance-I Section, Rajiv Gandhi Bhawan, M/o Civil Aviation	_

कोयला मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	635.96	शून्य	हाँ	निदेशक (वित्त) कोयला मंत्रालय	_	
MINISTRY OF COAL	#	Nil	Nil	Nil	635.96	Nil	Yes	Director (Finance) M/o Coal	_	
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	550.69	शून्य	हाँ	महानिदेशक (सड़क परिवहन और राजमार्ग), नई दिल्ली	शून्य	
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	#	Nil	Nil	Nil	550.69	Nil	Yes	DG (RTH), New Delhi	Nil	
विद्युत मंत्रालय	ш	षाञा	नहीं	षाञा	41156.76	च⊐ा	हाँ	विद्युत मंत्रालय	वाजा	
•	#	शून्य		शून्य		शून्य		-	शून्य	
MINISTRY OF POWER	#	Nil	No	Nil	41156.76	Nil	Yes	Ministry of Power	Nil	
वित्त मंत्रालय	#	हाँ	नहीं	5229.96	13394.86	लागू नहीं	हाँ	संयुक्त सचिव(बजट)	_	
आर्थिक कार्य विभाग		4629.96						बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग		
MINISTRY OF FINANCE Department of Economic Affairs	#	Yes 4629.96	No	5229.96	13394.86	NA	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	_	
वित्तीय सेवाएं विभाग		शून्य	नहीं	शून्य	167295.86	लागू नहीं	हाँ र	संयुक्त सचिव (बजट) बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग		
Department of Financial Services	#	Nil	No	Nil	167295.86	N.A.	Yes	Joint Secretary (Budget), Budget Division, DEA	_	
उद्योग मंत्रालय Ministry of Industry								Division, DLA		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग	#	शून्य	शून्य	शून्य	53.42	श्रून्य	हाँ	केवीआईसी एमएसएमई	शून्य	
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Khadi & Village Industries Commission (KVIC)	#	Nil	Nil	Nil	53.42	Nil	No	KVIC MSME	Nil	

73

[#] वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो। # Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस–1)– जारी
GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)–Contd.
(ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:–

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2019-20: -

मंत्रालय / विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं		अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(ক)	01 =10 y 02	(ख)		(ग)	(ঘ)	(ভ)	(च)	(ন্ত)
	(a)		(b)		(c)	(d)	(c)	(f)	(g)
								(करोड़	रुपयों में)
								(In crore o	of rupecs)
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1	# নहीं	नही	नहीं	8010.97	नहीं	हाँ	डा. पंकज सक्सेना वैज्ञानिक 'च'	_
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	1	† No	No	No	8010.97	No	Yes	एमएनआरई, लोदी रोड,नई दिल्ली-03 Dr. Pankaj Saxena Secientist 'F', MNRE, Lodi Road, New Delhi-03	_

						۸.			
इस्पात मंत्रालय	#	शून्य	शून्य	शून्य	356.89	नहीं	हाँ		_
								सार्वजनिक क्षेत्र के	
								उपक्रम का	
1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	"	2.711	2 711		226.00	27		परियोजना अनुभाग	
MINISTRY OF STEEL	#	Nil	Nil	Nil	356.89	No	Yes	Project Section of the concerned PSU	
								in the Ministry	
आवासन और शहरी गरीबी उपशमन	#	शून्य	नहीं		241.84	लागू नहीं	हाँ	• 3	_
मंत्रालय								आवास और	
								शहरी गरीबी	
								निवारण मंत्रालय	
MINISTRY OF HUPA	#	Nil	No		241.84	NA	Yes	H1 Section,	_
								M/o HUPA	
वाणिज्य विभाग	#	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	नहीं	<u> </u>	अवर सचिव (आईएफडी	
								वाणिज्य विभाग)	
								नई दिल्ली	
Department of Commerce	#	No	No	No	No	NIL	Yes		_
								Department of Commerce)	
								New Delhi.	
शहरी विकास मंत्रालय	"		नहीं		000.00	-2 '	हाँ	दिल्ली प्रभाग	
सहरा विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN	#	शून्य	ายเ		992.38	लागू नहीं	ह।	। ५०००। प्रमाग	
DEVELOPMENT	#	Nil	No	_	992.38	NA	Yes	Delhi Division	_
विदेश मंत्रालय	#	नहीं	शून्य	लागू नहीं	67954.64	शून्य	नहीं	डीपीए—ा,	
								विदेश मंत्रालय	
MINISTRY OF EXTERNAL									
AFFAIRS	#	No	Nil	NA	67954.64	Nil	No	DPA-I, MEA	_

[#] वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा मामले दर मामले का अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि यह उस वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कुल सीमा के बराबर हो। # Case to case approval of the Guarantees is accorded by the Budget Division, Ministry of Finance subject to the overall limit of 0.5% of GDP of that financial year.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस-1)-समाप्त

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)-Concid. (ख) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:-

(b) Additional disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2019-20: -

मंत्रालय / विभाग का नाम	सीमा, यदि कोई नियत की गई है जिसके भीतर सरकार गारंटी दे सकती है	क्या गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि मौजूद है और वर्ष की शुरुआत में निधि में उपलब्ध शेष राशि के प्रकटीकरण के साथ इसका ब्योरा	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में से की गई अदायगियां	गारंटी मोचन अथवा आरक्षित निधि में वर्ष के अंत में शेष राशि	वित्तीय विवरणियों की तारीख के अनुसार भारतीय रुपयों के रूप में मौजूद बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों के ब्योरे	स्वतः नामे डाले जाने की व्यवस्था और संरचनात्मक भुगतान व्यवस्था, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित ब्योरे	क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों के ब्योरे शामिल हैं	सरकार में गारंटियों के लिए ट्रैकिंग यूनिट अथवा नामोव्दिष्ट प्राधिकारियों के ब्योरे	अन्य महत्वपूर्ण ब्योरे
Name of the Ministry/ Department	Limit, if any fixed within which the Government may give guarantee	Whether guarantee Redemption or Reserve Fund exists and its details including disclosure of balance available in the fund at the beginning of the year	Any payments made out of guarantee redemption or Reserve fund	Balance at the end of the year made in guarantee redemption or Reserve Fund	Details of subsisting external foreign currency guarantees in terms of Indian rupees on the date of Financial Statments	Details concerning Automatic debit Mechanism and structured payment arrangements, if any	Whether the budget documents of the Government contain details of Guarantees	Details of the tracking unit or designated authority for Guarantees in the Government	Other material details
	(ক)	0 ,	(ख)		(ग)	(घ)	(ভ)	(च)	(ন্ত)
	(a)		(b)		(c)	(d)	(c)	(f)	(g)
								(करोड़	रुपयों में)
								(In crore of	of rupces)

⁽iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों / दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों / निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गईं प्रति-गारंटियांः -

⁽iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for suppliers for suppliers made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:-

(viii) कोई अन्य :-(viii) Any Other : --

> —शून्य— -Nil

77